

प्रषव

वीन, जीवरी

सचिव एवं सार्वजनिक आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन

सवा में

जिलाधिकारी

श्रावस्ती ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-3216/1-10-2013-12(34)/13, दिनांक 14.12.2013 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित लोक निर्माण विभाग, श्रावस्ती के 52 कार्यों हेतु प्रथम किश्त की 25 प्रतिशत धनराशि रू० 4,49,85,500/- आवंटित की गयी थी। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-503/1-10-2014-12(34)/13, दिनांक 26.06.2014 द्वारा प्रथम किश्त की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि रू० 4,49,85,500/- आवंटित की गयी थी। अब आपके पत्र संख्या-1623/आपदा-तेरह-2014-15, दिनांक 24.06.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये लोक निर्माण विभाग, श्रावस्ती के 52 कार्यों हेतु अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू० 8,99,74,000/- (रूपये आठ करोड़ निन्यानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	कार्य का नाम	आगणन (लाख में)
1	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 39 एवं 42 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.87
2	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 54(600) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	14.19
3	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 52.53 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	48.42
4	बहराइच-ककरदर मार्ग के किमी० 22.23 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.08
5	बहराइच-ककरदर मार्ग के किमी० 38.41,42 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.12
6	डिगरा काशीपुर रस्ता सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	33.55
7	नीवाभारी के भवन् नगर सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	47.46
8	विभूतिनाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.56
9	नहदइय मार्ग से नश्रपुरा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1, 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.53
10	कटरा मधुसू मार्ग से नहदइय मार्ग के किमी० 1, 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.54

12	बगलधारा से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.78
13	बगलधारा से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	38.89
14	डिगडाहा से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 2 (300) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	15.61
15	पटवर्ग से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 2 व 3 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	39.58
16	पटवर्ग से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 4 व 5 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.36
17	भरथ बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	14.17
18	बहराइच-भिनगा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 से हरिहरपुरा की सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	30.97
19	पाण्डुरपुर इकान सम्पर्क मार्ग के किमी 0-9 से पुरनिय सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	30.11
20	भिनगा लक्ष्मणपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 0-14 से बनधुरी सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.60
21	गाठवा से जंगल सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	17.50
22	लालपुर अण्डा से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 0-3 व 4 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.10
23	मुतहा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	20.84
24	जानकीनगर सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	25.95
25	रामपुर भरथ सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	37.32
26	बहराइच-ककरदरी मार्ग के किमी 17,18 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	25.07
27	नदईडीह सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2,3,4 (650) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.60
28	सम्पर्क प्रहलाद सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 (200) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	22.25
29	सम्पर्क श्रीनगर सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 (500) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.66
30	बहराइच-ककरदरी मार्ग के जमुनहा ब्लॉक तक सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	32.62
31	बहारवा सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 (500) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	28.59
32	परवपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	43.43
33	एन0एल0एस0एच0 मार्ग के किमी 0 59 से रङ्गवा सम्पर्क मार्ग के किमी-1 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	22.62
34	एन0एल0एस0एच0 मार्ग के किमी 0 63 से भिखारीपुर पसडी सम्पर्क मार्ग के किमी-1,2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	45.19
35	कोलाभार मजगावा सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 (500) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	34.70
36	रामपुर पटल सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2,3 (500) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	48.47
37	मैनिहवा गांव सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 (200) के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	26.99
38	बिदुहनी सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1,2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	38.18
39	डिगुराजात सम्पर्क मार्ग के किमी 0 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.69
40	राजापुर लखेवा से नीवाभारी नकहा सम्पर्क मार्ग के किमी 0 5 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	17.55
41	बनकटवा महली सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1 एवं 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	39.51
42	ककरदरी-चौधरीडीह सम्पर्क मार्ग के किमी 0 70 एवं 72 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	39.66
43	सरं बोडी सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1 एवं 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	39.60
44	रामपुर भरथ सम्पर्क मार्ग के किमी 0 1 एवं 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	36.12
45	पी0वी0बी0 नर के किमी 0-54 से विशनापुर लोहरी सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	49.52
46	एन0एल0एस0एच0 मार्ग के किमी 0 52 से सिद्धेश्वर सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	24.26
47	बनकटवा से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	47.51
48	बनकटवा से बगलधारा सम्पर्क मार्ग के किमी 1 व 2 के मरम्मत/रस्टोरेशन का कार्य	46.61

3- उपरोक्त प्रमाण-पत्र जहाँ धनराशि का उल्लेख है उसे जहाँ तक संभव हो सके विभाजित नहीं किया जायगा अर्थात् निरन्तरता एवं विभिन्न व्ययजनों के प्रमाणित माना जायगा।

6- उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के साथ मानक एवं गुणवत्तापूर्ण बरतण जाल सुनिश्चित करने के लिए कार्ट की समय-समय पर फोटोग्राफी, फाटाग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपस्थापित प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूरा विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 1007(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, टैवीपाटन मण्डल, गौण्डा।